संख्या:196/XXVIII-1-2005-43/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2005

विषय : राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-लेखा-1/2004-05/ दिनांक फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्न प्रपत्र पुनर्विनियोग के अनुसार रु0 27.50 (रु0 सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस धनराशि का उपयोग राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त निर्माण कार्यों हेतु किया जाय।

3- उक्त धनराशि को संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्रानुसार प्रस्ताव तत्काल प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि यथासमय स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय से किया जा सके।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय इस वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में उल्लिखित धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के कालम-5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र कालम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-1548/वित्त अनु0-2/2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या:196(1)/XXVIII-1-2005-43/2005 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-2।
4. गार्ड फाइल/एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

(वित्तीय वर्ष 2004-2005)

पुनर्विनियोग 2004-05

...0-15

...अधिकारी : प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष

पुर्नविर्योजन का आवेदन पत्र (हजार रूपये में)

...बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार [illegible] के ...	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (बचत) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुन-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
...आयोजनागत पक्ष ...0-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर ...गत परिव्यय ...ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें ...0-अस्पताल तथा औषधालय ...वाह्य सहायतित परियोजनाएं ...02-हेल्थ सिस्टम परियोजना। ... वृहत निर्माण कार्य				आयोजनागत पक्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 800-अन्य व्यय 91-जिला योजना 9101-राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य 2750			(क)हेल्थ सिस्टम परियोजना में बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। (ख) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।
...5302	100000	-	135502	2750	20150	135274.5	

...त किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,155,156 में ...त प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अतर सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-1
संख्या- 196 /वित्त अनु0-2/2005
देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च,2005

<u>पुनर्विनियोजन स्वीकृति</u>

महालेखाकार,
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
ओबेरॉय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

एल.एम. पन्त
अपर सचिव वित्त

...क दिनांक तदैव।
...प निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
वित्त अनुभाग-2
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव